न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 86/2013–14

श्री जोगेन्द्रनाथ पुरी

–बनाम–

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।

अधिवक्ता उत्तरदाता राज्य सरकार : श्री सुबोध कुमार शर्मा, जिला शासकीय अधिवक्ता(रा0)

उपस्थिति : श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0 सदस्य(न्यायिक)।

बावत

मौजा रांगडवाला, परगना केन्द्रीयदून
तहसील व जिला देहरादून।

आदेश

यह निगरानी विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा वाद संख्या–04/2011–12 अन्तर्गत धारा–28/33/39 भू–राजस्व अधिनियम प्रेमनाथ बनाम सरकार में पारित निर्णयादेश दिनांक 06–12–2014 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में श्री जोगेन्द्रनाथ पुरी ने दिनांक 10–08–2011 को जिलाधिकारी, देहरादून को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि वर्ष 1961 में श्री प्रेमनाथ पुत्र रामरतन ने तत्कालीन जमींदार से दमामी पट्टे पर प्राप्त की थी जिसे दिनांक 17 दिसम्बर, 1941 को उप निबन्धक, देहरादून के कार्यालय में पंजीकृत किया गया था और उक्त भूमि का नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में हो गया था। वर्ष 1980 में श्री प्रेमनाथ की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त भूमि उनके एकमात्र पुत्र जोगेन्द्रनाथ को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–171 के तहत प्राप्त हुई। वादग्रस्त भूमि को अवैध रूप से बिना किसी आदेश के जमींदारी विनाश क्षेत्र से हटाकर नॉन जेड0ए0 क्षेत्र में खाता संख्या–6 में दर्ज कर दिया गया है। श्री जोगेन्द्र नाथ ने वादग्रस्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में शुद्वि एवं अवैध इन्द्राजों को निरस्त करने हेतु प्रार्थना की गई। विद्वान कलेक्टर ने उप जिलाधिकारी, देहरादून से आख्या प्राप्त की। प्राप्त आख्या के आधार पर विद्वान कलेक्टर ने अपने निर्णयादेश दिनांक 06–12–2014 से कतिपय शर्तों के साथ राजस्व अभिलेखों में किये गये इन्द्राज को शुद्वि हेतु आदेश पारित किए गए। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया गया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता ने राजस्व अभिलेख जो आवश्यक थे उन्हें अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया था जिसपर परगनाधिकारी से

विस्तार से जांच करवाई गई थी। परगनाधिकारी ने अपनी स्पष्ट आख्या में इन्द्राजों को निरस्त करने एवं शुद्वि करने की संस्तुति की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने तीन वर्ष तक पत्रावली में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जबकि राजस्व अभिलेखों को शुद्व करने का कर्तव्य कलेक्टर का है। धारा–28/33/39 भू–राजस्व अधिनियम की किसी भी कार्यवाही में खसरा अथवा खतौनी में शर्तों को अंकित नहीं किया जा सकता। खसरों के इन्द्राज में हल्का लेखपालों द्वारा त्रुटि की गई थी और अधीनस्थ न्यायालय को केवल गलत इन्द्राज को सही करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के शर्त आरोपित कर उक्त दुरस्ती आदेश को आधार मानकर किसी न्यायालय में कोई वाद योजित किये जाने पर उक्त आदेश स्वतः निरस्त माना/समझा जायेगा अपने निर्णयादेश में अंकित किया गया जिसका उन्हें क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था।

प्रतिपक्षी राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) ने भी स्वीकार किया कि अवर न्यायालय द्वारा शर्तों के साथ दुरस्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली पर निगरानीकर्ता जोगेन्द्रनाथ के प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा 3.12 एकड़ भूमि भारत सरकार द्वारा आई0एम0ए0 के लिए अधिग्रहीत किये जाने का उल्लेख किया गया है। निगरानीकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में भूमि अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन होने का भी उल्लेख किया गया है। विद्वान कलेक्टर ने इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया कि यदि भूमि रक्षा विभाग/आई0एम0ए0 के लिए अधिग्रहीत की गई थी जिसका उल्लेख उन्होंने अपने आदेश में भी किया है तो उन्हें उक्त वाद में आई0एम0ए0 को भी पक्षकार बनाते हुए उसे भी अपना पक्ष व साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। यदि वादग्रस्त भूमि को अधिग्रहण की कार्यवाही हुई थी उन्हें इस बिन्दु पर भी सम्यक विचार करना चाहिए था कि वे आई0एम0ए0 को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उसे पक्षकर बनाकर उनका पक्ष भी सुनते, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुए आक्षेपित आदेशांश खण्डित कर प्रकरण अवर न्यायालय को पुनः इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा कि वे प्रश्नगत वाद में आई0एम0ए0 को पक्षकार बनाकर वाद में सभी पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश के आक्षेपित अंश के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित करें।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में निगरानी स्वीकार कर विद्वान कलेक्टर के आदेश दिनांक 06–02–2014 का आक्षेपित अंश खण्डित किया जाता है एवं इस निर्देश

सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त वाद में आई0एम0ए0 को पक्षकार बनाते हुए इस सम्बन्ध में विधिसम्मत आदेश पारित करें।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **21–07–2014** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।